

भारत सरकार  
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय  
क्षेत्रीय कार्यालय(मध्य)  
Ministry of Environment, Forests & Climate Change  
Regional Office (Central Region)

पृष्ठ सं. १  
पृष्ठ सं. २

केन्द्रीय भवन, एचएम राउल, सेक्टर-एच, अलीगंज, लखनऊ-226024  
Kendriya Bhawan, 5th Floor, Sector 'H' Aliganj, Lucknow-226024 Telefax: 2326696, 2324340, 2324047, 2324025  
Email: (Env.) m\_env@rediffmail.com, (Forest) goimoe@rediffmail.com

पत्र सं० ४बी/यू.पी./०६/०६/२०१६/एफ.सी. /1353

सेवा में,

नोडल अधिकारी एवं वन संरक्षक,  
वन उपयोग वृत्त, अरण्य भवन,  
17 राणा प्रताप मार्ग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

दिनांक:

विषय : बुन्देलखण्ड विकास निधि हेतु ककनारे बाबा नाला पर 2 x 5 मीटर स्थान एवं 7.00 मीटर ऊंची आर०सी०सी० बाक्स कल्वर्ट एवं कर्व भरम्हा हेतु 0.3 हे० वन भूमि का प्रत्यावर्तन।

सन्दर्भ : ऑनलाईन प्रस्ताव संख्या-FP/UP/Road/15564/2015

महोदय,

उपरोक्त विषय का आशय ग्रहण करने का कष्ट करें। राज्य सरकार द्वारा उपरोक्त विषयांकित परियोजना में वन संरक्षण के अधिनियम 1980 के तहत भारत सरकार की स्वीकृति हेतु ऑन लाईन प्रस्ताव प्रेषित किया है।

ऑनलाईन प्रस्ताव पर निरीक्षण के उपरान्त प्रस्ताव में कुछ त्रुटियाँ पायी गयी हैं जो निम्नलिखित हैं

1. जिला बांदा में इको क्लास -1 दिखाया गया है जो कि गलत है।
2. प्रस्ताव के भाग -11 में परियोजना का वित्तीय ले आउट 2.16 करोड़ दर्शाया गया है जबकि प्रति दिन एक भी व्यक्ति रोजगार लागू नहीं है। इसका क्या कारण है?
3. प्रस्ताव के भाग -1 के आगे के दो पृष्ठ अस्पष्ट हैं।
4. प्रस्ताव में प्रस्तुत किया गया ले आउट प्लान वन विभाग द्वारा प्रमाणित नहीं है एवं संबंधित मानचित्र भी अस्पष्ट है।
5. प्रस्ताव में संलग्न वन भूमि की अधिसूचना में यह नहीं दर्शाया गया है कि कौन सा भाग प्रस्ताव में प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित है।
6. प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन भूमि का भूसांकेतिक डिजिटल मानचित्र मुख्य बिन्दुओं के जी०पी०एस० कोर्डिनेट्स के साथ नहीं उपलब्ध कराया गया है। कोर्डिनेट्स को सारिणी में उपलब्ध कराया गया है किन्तु इस मानचित्र में बिन्दुओं के साथ लिंक नहीं किया गया है।
7. टोपोग्रीफ अस्पष्ट है एवं उससे कुछ भी समझना मुश्किल है।
8. भाग -11 में पातन किये जाने वाले वृक्षों के ब्योरे में 30 सेमी० व्यास के वृक्षों की गणना नहीं की गयी है।
9. प्रस्ताव में क्षतिपूर्क वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित भूमि का मानचित्र एवं योजना नहीं उपलब्ध करायी गयी है।
10. प्रस्ताव अधूरा है। मूल प्रस्ताव की शैली में भी अपेक्षित है। यदि उसमें कोई और त्रुटि पायी जाती है तो उसको भी पत्र के द्वारा सूचित किया जाएगा।

आपसे अनुरोध है कि उल्लिखित बिन्दुवार त्रुटियों को दूर करके संशोधित प्रस्ताव भेजने का कष्ट करें।

भवदीय,

(बृजेन्द्र स्वरूप)  
वन संरक्षक (के०)

प्रतिलिपि सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. प्रमुख सचिव(वन), वन अनुभाग, 6वां तल, बायु भवन, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
2. प्रभागीय वनाधिकारी, बांदा वन प्रभाग, बांदा, उ० प्र०।
3. अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड-2, लोक निर्माण विभाग, बांदा, उ० प्र०।
4. श्री कमल मिश्रा, राजभाषा अनुभाग, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ, को वेबसाइट पर अपलोडिंग हेतु प्रेषित।
5. आदेश पत्रावली।

(बृजेन्द्र स्वरूप)  
वन संरक्षक (के०)